भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4589
दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति प्रणालियों की संधारणीयता

†4589. श्री जगदीश शट्टरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत प्रचालन, अनुरक्षण और सामुदायिक भागीदारी तंत्र सहित जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक संधारणीयता को मापने के लिए कोई निगरानी या मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार ने उन गांवों अथवा घरों की पहचान की है जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी भी नल के पानी की आपूर्ति नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पीने योग्य पानी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और ऑनलाइन जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, पारदर्शिता बढ़ाने और जल जीवन मिशन के तकनीकी रूप से ठोस कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा परिसंपत्तियों की जमीनी वास्तविक सुनिश्चित करने के लिए, सुजलाम भारत डेटाबेस, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति परिसंपत्तियों को व्यवस्थित रूप से मैप, जियोटैग और निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विशिष्ट सुजल गांव आईडी सृजित करके थोक जल**,** आउट-विलेज और इन-विलेज घटकों के लिए फील्ड-स्तरीय डेटा कैप्चर और सत्यापन को सक्षम बनाता है। एक मूलभूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के रूप में**,** यह स्रोत से घर तक एक निर्बाध, पारदर्शी और डेटा-संचालित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के घटकों को जोड़कर एक जीआईएस-आधारित डिजिटल संपत्ति रजिस्ट्री सृजित करता है।

2019 में जेजेएम की शुरुआत के समय, केवल 3.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों (16.72%) के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 12.58 करोड़ परिवारों को उनके घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 17.03.2026 तक, कुल 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.83 करोड़ (81.75%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन हैं।
